राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःप.3(76)स्टोर/रानिआ /एसडीएमएम/2019/710 दिनांक : 20.01.2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जिला कलक्टर) समस्त, राजस्थान।

विषय :– पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी निर्वाचनों में मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. के उपयोग पर मतगणना उपरान्त एस.डी.एम.एम. को सीलबंद करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य मे पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आमचुनावो मे उपलब्धता के आधार पर आयोग के स्वामित्व की मल्टीपोस्ट सिंगलवोट ईवीएम का उपयोग किया जावेगा। मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. की कन्ट्रोल यूनिट में एक डिवाईस लगाया गया है, जिसे एस.डी.एम.एम. (Secure Detachable Memory Module) कहा जाता है। मतदान के दौरान मतदान का डाटा उक्त एस.डी.एम. एम. में संकलित हो जाता है। एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से हटाए जाने के पश्चात् कन्ट्रोल यूनिट में नवीन एस.डी.एम.एम. लगाया जाकर ई.वी.एम. का पुनः निर्वाचन कार्य हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

मतदान के पश्चात् मतगणना के लिए उक्त ईवीएम की एस.डी.एम.एम. युक्त कन्ट्रोल यूनिट से परिणामों की घोषणा के बाद एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से निकाल कर सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना होगा ताकि विधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर मतदान संबंधी रिकार्ड को पुनः देखा जा सके।

मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम से जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव एक साथ करवायें जा सकते है। इसके लिए एक कन्ट्रोल युनिट एवं चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों (नोटा सहित) की संख्या के अनुसार दोनों पदों के लिए आवश्यकतानुसार अलग–अलग बैलेट युनिट लगाई जाएगीं। कन्ट्रोल युनिट में लगी हुई एस.डी.एम.एम. में जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य दोनों के मतदान के डाटा संग्रहित हो जाएगें।

जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों में उपयोग में ली गई एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल युनिट से हटाकर सील करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जातें हैं:–

1. मतगणना के पश्चात् चुनाव परिणाम घोषित करने के तुरन्त बाद मतगणना कक्ष में ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में एस.डी.एम.एम. को सील किया जावेगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एस.डी.एम.एम. को सील करने संबंधी कार्य को सम्पादित करने के लिए एक 5 सदस्यीय दल (एक सीलिंग प्रभारी व चार सीलिंग सहायक) गठित किया जायेगा।
3. एक निर्वाचन क्षेत्र की एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त ही दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से बाहर निकालकर सीलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए, ताकि एक निर्वाचन क्षेत्र के एस.डी.एम.एम. के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के एस.डी.एम. एम. में मिक्स होने की संभावना नहीं रहें।
4. एस.डी.एम.एम. को सील करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी सम्पूर्ण प्रकिया **की वीडियोग्राफी** अनिवार्य रूप से कराई जावे।

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों के पश्चात् एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रकिया :–

a) सीलिंग प्रभारी मतगणना के उपरान्त एस.डी.एम.एम. को ई.वी.एम. की कन्ट्रोल युनिट से बाहर निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से.मी. होगा, में रखेगें।

b) एस.डी.एम.एम. पेपर सील (नीला रंग) पर निर्वाचन से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज कर, मतगणना स्थल पर उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पेपर सील में खाली स्थान पर प्राप्त कर लेवें। पेपर सील (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-1** पर उपलब्ध है।

c) पेपर सील (नीला रंग) के पृष्ठ भाग से "डी" स्टीकर को हटाकर उसे एस.डी.एम.एम. रखी हुई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी पर चिपकाने के बाद पेपर सील को चारों ओर इस तरह से लपेटा जायेगा कि पेपर सील के अग्र भाग के "एम" स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित "एम" आकार चिपक जाये।

d) छोटी प्लास्टिक डिब्बी को पेपर सील से सील करने के पश्चात् उस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रबर बैण्ड से चारों तरफ से पैक किया जाएगा।

e) इस तरह पेपर सील से सील्ड एवं रबर बैंड से पैक की गई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को एक लिफाफे (नीला रंग) में रखकर, जिसका प्रारूप **Annexure-2** पर उपलब्ध है, में आवश्यक प्रविष्टियां कर लिफाफे को चपड़ी से सील किया जायेगा।

f) इस प्रकार चपडी से सील किये गये लिफाफे को मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 10 से.मी. X 6.5 से.मी. X 2.5 से.मी होगा, में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक की डिब्बी के ऊपर निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र से संबंधित प्रविष्टियों के इन्द्राज के पश्चात् स्टीकर (नीला रंग) को डिब्बी पर चिपकाया जाएगा। स्टीकर (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-3** पर उपलब्ध है।

g) अतिरिक्त सुरक्षा के लिए स्टीकर चिपकाने के पश्चात् इस डिब्बी को चारों ओर से एक इंच की सेलो टेप (पारदर्शी टेप) से पैक किया जाएगा।

h) इस प्रकार सील/पैक की गई मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बीयों को बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे, जिसका आकार 30 से.मी. X 12.5 से.मी. X 7.5 से.मी होगा, में रखा जायेगा।

i) मध्यम आकार की डिब्बियों को बडे प्लास्टिक के डिब्बे में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक बडे डिब्बे में एक से अधिक निर्वाचन क्षेंत्रों की मध्यम आकार की डिब्बियां रखी जा सकेंगीं किन्तु निर्वाचन क्षेत्रों को तोडा नहीं जाएगा।

j) इस तरह मध्यम आकार की डिब्बियों युक्त प्लास्टिक के बडे डिब्बे पर निर्वाचन क्षेत्रों एवं मतदान केन्द्रों के विवरण अंकित करने के पश्चात् स्टीकर (नीला रंग) चिपकाया जाएगा। स्टीकर का प्रारूप **Annexure-4** पर उपलब्ध है।

k) प्लास्टिक के बडे डिब्बे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इसे चारों ओर से तीन इंच की सेलो टेप (पारदर्शी) से पैक किया जाएगा।

l) इस प्रकार सेलो टेप से पैक किए गए प्लास्टिक के सभी बडे डिब्बे एक लोहे के बक्से में रखे जाएगें। बडे प्लास्टिक के डिब्बों को लोहे के बक्सों में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि निर्वाचन क्षेत्र टूटे नहीं। बक्से का आकार 25 इंच X 22 इंच X 18 इंच होगा।

m) उक्त लोहे के बक्से को ताला लगाकर चपडी से सील कर कोषालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

पंच एवं सरपंच के निर्वाचनों हेतु एस.डी.एम.एम. को सीलबंद कर सुरक्षित रखे जाने के संबंध में आयोग निम्नलिखित निर्देश जारी करता है:–

<u>पंच/सरपंच के निर्वाचनों मे यदि मल्टीपोस्ट सिंगलवोट ईवीएम का उपयोग किया जाता है तो निर्वाचन के पश्चात् एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रकिया :–</u>

1. मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. से पंच/सरपंच पद के चुनाव में उपयोग लिये जाने की स्थिति में मतगणना के उपरान्त रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा पंचायत मुख्यालय पर स्थिति **मतदान भवन पर ही एस.डी.एम.एम. को सील** करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के उपरान्त एस.डी.एम.एम. को ई.वी.एम. की कन्ट्रोल युनिट से बाहर निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से. मी. होगा, में रखेगें।
3. उक्त प्रकिया के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई पेपर सील (नीला रंग) पर निर्वाचन संबंधी आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराकर एस.डी.एम.एम. रखी हुई उक्त छोटी डिब्बी को उक्त पेपर सील से सील किया जायेगा। पेपर सील (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-1** पर उपलब्ध है।
4. उक्त पेपर सील (नीला रंग) के पृष्ठ भाग से "डी" स्टीकर को हटाकर उसे एस.डी.एम.एम. रखी हुई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी पर चिपकाने के बाद पेपर सील को चारों ओर इस तरह से लपेटा जायेगा कि पेपर सील के अग्र भाग के "एम" स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित "एम" आकार चिपक जाये।
5. छोटी प्लास्टिक डिब्बी को पेपर सील से सील करने के पश्चात् उस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रबर बैण्ड से चारों तरफ से पैक किया जाएगा।
6. इस तरह पेपर सील से सील्ड एवं रबर बैंड से पैक की गई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को एक लिफाफे (नीला रंग) में रखकर, जिसका प्रारूप **Annexure-2** पर उपलब्ध है, में आवश्यक प्रविष्टियां कर लिफाफे को चपड़ी से सील किया जायेगा।
7. उक्त चपडी से सील किए गए लिफाफे को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर कॉउन्टर नम्बर–1 पर अन्य मतदान सामग्री के साथ जमा कराया जायेगा।
8. रिटर्निंग अधिकारी को उक्त सीलिंग की प्रकिया में उपयोग में आने वाली कागज की पेपर सील (नीला रंग), छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, रबर बैण्ड, चपड़ी तथा लिफाफा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल की रवानगी के समय ही उपलब्ध कराया जायेगा।
9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लिफाफे (नीला रंग) में सील की गई एस.डी.एम.एम. को जिला मुख्यालय पर जमा कराने के पश्चात् आगे की सीलिंग की कार्यवाही जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में उपयोग में लाई गई एस.डी.एम.एम. को सील करने की ऊपरलिखित प्रक्रिया के बिन्दु संख्या (f) से (m) के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित विशेष दल के द्वारा उसी दिन सील करने की प्रकिया पूर्ण कर कोषालय के डबल लॉक में रखवाया जाएगा।

साथ ही उल्लेखनीय है कि जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों तथा पंच/सरपंच के निर्वाचनों में उपयोग में लाए गए एस.डी.एम.एम. को उक्तानुसार सील करने की प्रकिया के दौरान निम्नलिखित सामग्री का आवश्यकता होगी:–

a) सेल्फ एडेसिव एस.डी.एम.एम. पेपर सील (नीला रंग) (30 से.मी. X 3 से.मी.) **Annexure-1**
b) छोटी प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से.मी.)

c) एस.डी.एम.एम. रखी हुई छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को सीलबंद करने का लिफाफा (नीला रंग) (12 से.मी. X 9 से.मी.) **Annexure-2**

d) मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 10 से.मी. X 6.5 से.मी. X 2.5 से.मी) जिसमें **Annexure - 2** में वर्णित एस.डी.एम.एम युक्त लिफाफा (नीला रंग) रखा जायेगा।

e) मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (नीला रंग)। **Annexure-3**

f) बड़े आकार का प्लास्टिक का डिब्बा (साईज 30 से.मी. X 12.5 से.मी. X 7.5 से.मी)

g) बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (नीला रंग)। **Annexure-4**

h) लोहे का बक्सा (साईज 25 इंच X 22 इंच X 18 इंच)

i) रबर बैण्ड।

j) सेलो टेप (पारदर्शी) (साईज– एक एवं तीन इंच)

k) लिफाफे एवं लोहे के बक्से को सीलबंद करने के लिए चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपडा आदि ।

एस.डी.एम.एम. को सील करने के बाद ई.वी.एम. को सील करने की आवश्यकता नहीं है। इन ई.वी.एम. को नवीन एस.डी.एम.एम. लगाने के बाद अगले चुनाव कार्य में उपयोग में लाई जा सकेंगी।

साथ ही उक्तानुसार प्लास्टिक की छोटी एवं बडी डिब्बी, प्लास्टिक का बडा डिब्बा, चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपड़ा, सेलो टेप, रबर बैण्ड की व्यवस्था जिला स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावे जबकि सेल्फ एडेसिव पेपर सील, स्टीकर एवं नीला लिफाफा आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

20/1/2026
(राजेश वर्मा)
सचिव

क्रमांकःप.3(76)स्टोर/रानिआ/एसडीएमएम/2019/711-713 दिनांक : 20.01.2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. लेखा शाखा बजट, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. पंचायत शखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(मनीषा चौधरी)
सहायक सचिव

Annexure-1

एस.डी.एम.एम. पेपर सील का प्ररूप (नीला रंग)
(प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को सील करने हेतु)



M

Annexure-2

लिफाफे का प्ररूप (नीला रंग)

(Size - 12cm X 9cm)

(पेपर सील से पैक एस.डी.एम.एम. युक्त प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को रखकर चपडी से सील करने हेतु)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

S E C
Rajasthan

पंचायत निर्वाचन

जिला

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत का नाम.....

निर्वाचन का विवरण

बूथ संख्या

मतदान बूथ का नाम

एस.डी.एम.एम. क्रमांक

मतगणना दिनांक

एस.डी.एम.एम. में उपलब्ध परिणाम

सरपंच, ग्राम पंचायत/वार्ड पंच–वार्ड सं.

पंचायत समिति सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र सं.

जि.पं. सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सं.

आर.ओ./ए.आर.ओ.
हस्ताक्षर एवं सील

Annexure-3

छोटे स्टीकर का प्ररूप (नीला रंग)

(Size - 8cm X 5cm)

(मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी पर चिपकाया जाना है)

पंचायत निर्वाचन

S E C
Rajasthan

जिला

जिला परिषद/पं. समिति/ग्रामपंचायत का नाम

निर्वाचन का विवरण

बूथ संख्या

मतदान केन्द्र/बूथ का नाम

एस.डी.एम.एम. क्र.

Annexure-4

बड़े स्टीकर का प्ररूप (नीला रंग)
(Size - 20cm X 6cm)

(प्लास्टिक के बडे डिब्बे पर चिपकाया जाना है)

पंचायत निर्वाचन

S E C
Rajasthan

जिला

.....

जिला परिषद/पं. समिति/ग्रामपंचायत का नाम

पद (जिसके निर्वाचन से संबंधित है)

पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.

सरपंच/पंच वार्ड सं.

बूथ संख्या

से	तक

* जिस पद से संबंधित है उसे ✓ किया जावें।